गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

क्वारेंटाइन सेंटरों में मरीजों की मौत का भी किया जिक्र

एजेंसी | नई दिल्ली

क्वारेंटाइन सेंटरों और कोविड अस्पतालों में मरीजों की खराब स्थिति के अलावा पत्रकारों और व्हिसल ब्लोअरों पर हमले के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों को नोटिस भेजा है। आयोग ने इन मामलों से जुड़ी याचिका पर कार्रवाई करते हुए यह नोटिस भेजा है।

यह याचिका वकील और मानावाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी ने लगाई थी। उन्होंने याचिका में देशभर के क्वारेंटाइन सेंटरों में लापरवाही के कारण हो रहे मरीजों की मौत, सर्पदंश, यौन हमले के कई वाकयों का जिक्र किया है।

घर और जमीन पर कब्जा कर महिला को घर से निकाला

सड़क किनारे पति एवं बच्चों संग रह रही पीड़िता, चौकी और थानों से नहीं मिल रहा न्याय

संवाद न्यूज एजेंसी

मरदह। गरीबों को न्याय दिलाने का सरकार भले ही दावा करती हो लेकिन अधिकारी उसके इस दावे की हवा निकाल रहे हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला थाना क्षेत्र के गांई मठिया निवासी एक महिला का है। सब कुछ रहते हुए भी पट्टिटदारों ने उसकी भिम और मकान पर कब्जा कर बाहर निकाल दिया। आज पीडिता अपने पति और दो बच्चों के साथ 18 दिनों से खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे जीवन-यापन कर रही है। लेकिन उसका दख दर्द सनने वाला कोई नहीं है।

गांव निवासी रिंकू देवी ने आरोप लगाया कि पट्टीदारों से जमीन संबंधी बंटवारा को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। सभी संयुक्त रूप से वर्षों मकान में रह रहे थे। नौ सितंबर की दोपहर एक बजे पट्टीदार के परिवार के छह लोगों ने पीड़िता को गाली देते हुए मारपीटा और कमरे का ताला तोड़ दिया।

घर में रखे सभी सामान को बाहर सड़क पर फेंक दिया और बक्से तथा अटैची तोड़ कर कपड़े आदि बाहर फेंक दिए। आरोप है कि बक्सों में रखे बीस हजार नगदी सहित सोने के आभूषण भी ले लिए। जब विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी जाने लगी।

पीड़िता ने मटेहू पुलिस चौकी पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसकी पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली, मुख्यमंत्री,



गांई मठिया गांव में पट्टीदारों द्वारा घर से निकालने पर सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे महिला पति तथा दो बच्चों के साथ ।

प्रमुख सचिव गृह, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष महिला आयोग उत्तर प्रदेश, डीआईजी वाराणसी मंडल, पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन महिला को न्याय नहीं मिला। रिंकू देवी ने बताया कि हम अपने ही घर से बेघर हो गए। हर जगह अर्जी दी लेकिन मेरी फरियाद नहीं सुनी। यह मामला गंभीर है, जांच कराकर महिला को उसका हक दिलाया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। -रमेश मौर्य, एसडीएम

कासिमाबाद

टाल-मटोल कर रही पुलिस

प्रतहा पीड़िता रिंकू देवी के पित रामिवलास यादव ने बताया कि समें चाचा हैं। आधे-आधे के हिस्सेदार है, लेकिन दबंगई के बल पर पूरी जमीन एवं मकान कब्जा करने की नीयत से घर से बाहर निकाल दिया। खाने पीने का राशन भी सब हड़प लिया है। न्याय के लिए बार-बार पुलिस के पास चक्कर लगा रहें हैं, लेकिन पुलिस टालमटोल कर रही है।

Now, Odisha govt. turns to radio for classes

Unlock sees parents of students leave for work sites with family's only smartphone

SATYASUNDER BARIK BHUBANESWAR

As online classes fail to reach most students due to poor mobile connectivity, the Odisha government has now turned to radio to reach out to children in remote areas of the State.

The School and Mass Education Department will launch classroom teaching through All India Radio from Monday.

"As the schools could not be opened due to COVID-19 pandemic, we had tried to reach students with online classes, mostly through smartphones. But, virtual classes have their inherent drawbacks. Of the 60 lakh students, we were hardly reaching to 22 lakhs during lockdown," said State School and Mass Education Minister Sameer Ranjan Dash.

Mr. Dash pointed out, "The situation worsened further when lockdown was lifted. Many parents started returning to their workplaces taking the only smartphone in the family with them. As per our assessment, the number of students taking online classed dropped to 6 to 7 lakh after the unlock."

"It is well known that radio can be heard even in the remotest parts. Moreover, radio is cheap compared to expensive smartphones and the recurring cost is also low. We hope to cover more students with the radio school programme," he said.

As per the plan, students from Class I to VIII can learn their lessons through 15-minutes of teaching by experienced teachers through radio. It will be available everyday from 10 a.m. to 10.15 am.

Extraordinary situation

"A student could cover six pages of his textbook within 15 minutes of radio programme. Though the teaching through radio would not be effective as it could have been in physical classroom, the extraordinary situation has forced us to try different methods for reaching students," the Minister said.

Schools in Odisha have

been closed since March 17. However, children have been provided textbooks.

Three hours of classroom instruction are also available through Doordarshan. Since considerable time has been lost due closure of schools, school syllabus has been reduced by 30%.

Recently, the National Human Rights Commission issued notices to Education Ministry over the inability of students to follow online classes. Human rights lawyer Radhakant Tripathy had moved NHRC stating that 38 lakh students from Odisha were unable to access online education due to unavailability of requisite digital infrastructure.